

कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

टी-19-26-7 अभि0खण्ड / का0ब0वि0प्रा0 / 2026-27

दिनांक-15/05/26

पत्रांक-441

निविदा आमन्त्रण सूचना

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं:-

- I- निम्न तालिका के क्रम सं0-1 व 2 पर अंकित कार्य की निविदा सिंगल बिड पद्धति पर तालिका में अंकित तिथि को 3.00 बजे आमन्त्रित की जाती है, तथा तालिका में अंकित तिथि को 3.30 बजे खोली जायेगी। क्रम सं0-3 से 14 पर अंकित निविदा टू बिड पद्धति पर तालिका में अंकित तिथि को 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है जो तालिका में अंकित तिथि 3.30 बजे खोली जायेगी। निविदा हेतु एन0आई0सी0 की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से ही डाउनलोड की जा सकेगी। निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि को केवल RTGS/NEFT के माध्यम से प्राधिकरण के खाता सं0-2838101007383, IFSC Code-CNRB0002838 कैनरा बैंक राजेन्द्रनगर बरेली में निविदा आमन्त्रण की तिथि व समय तक प्राधिकरण खाते में जमा करना अनिवार्य है।


क्रसं	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु० में)	धरोहर राशि @ 2% (रु० में)	निविदा का मूल्य GST 18% सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	श्रेणी	निविदा आमन्त्रण की तिथि	निविदा खोलने व तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राधिकरण अधिकारी आवास सं0-ए5/3 भूतल, आवास सं0-4/6 प्रथम तल में रंगाई पुताई एवं आवश्यक मरम्मत कार्य।	4,24,424.73	8,500.00	1,500.00	02 माह	श्रेणी डी सिविल	29-05-26	30-05-26
2	बीसलपुर रोड के डिवाइडर एवं प्रवेश द्वार के प्लान्टर में पौधारोपण/वृक्षारोपण का कार्य।	5,45,387.32	11,000.00	1,500.00	01 माह	प्राधिकरण में पंजीकृत समस्त श्रेणी हेतु	29-05-26	30-05-26
3	रामगंगानगर आवासीय योजना के 45.00मी0 रोड की सर्विस रोड के डिवाइडर पर एच0डी0पी0ई0 मेस फेन्सिंग का कार्य।	37,61,934.72	75,500.00	2,500.00	02 माह	श्रेणी बी सिविल	05-06-26	06-06-26
4	रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-8 में (शिप्रा इंकलेव) में स्थित ओवर हैड टैंक के क्षेत्र में विकास कार्य।	18,33,300.56	37,000.00	2,500.00	03 माह	सी सिविल	05-06-26	06-06-26
5	रामगंगानगर आवासीय योजना सेक्टर-2 के रामायण वाटिका में विविध विकास कार्य।	44,11,103.00	80,500.00	2,500.00	02 माह	श्रेणी बी सिविल	05-06-26	06-06-26
6	ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के रामनगर खास में सी0सी0 रोड का कार्य। (पार्ट)	39,23,171.33	78,500.00	3,000.00	03 माह	श्रेणी बी सिविल	05-06-26	06-06-26
7	नटराज रोटरी से गौरक्ष चौक तक 45.00 मी0 डिवाइडर रोड नटराज रोटरी एवं वी0डी0ए0 आफिस रोटरी में पौधारोपण (3 वर्षों की ए0एम0सी सहित) का कार्य।	31,40,872.00	63,000.00	3,000.00	03 माह	श्रेणी बी सिविल	05-06-26	06-06-26
8	ग्राम हिम्मतपुर तहसील आवाला, परगना	43,27,300.95	87,000.00	5,000.00	03 माह	श्रेणी बी सिविल	05-06-26	06-06-26

	बल्लिया, जनपद बरेली में वन विभाग को दी गयी भूमि (7.4048) की तारबन्दी एवं बोरिंग एवं बोरिंग तथा सोलर पम्प लगाने का कार्य।							
9	ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-10 में प्रस्तावित एल0आई0जी0 स्थल का विकास कार्य पार्ट-ए	7,59,30,728.55	15,19,000.00	25,000.00	09 माह	ए प्लस सिविल	15-06-26	16-06-26
10	ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-10 में प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 स्थल का विकास कार्य पार्ट-बी	6,17,30,329.91	12,35,000.00	20,000.00	09 माह	ए प्लस सिविल	15-06-26	16-06-26
11	नाथ कोरिडोर बरेली के अन्तर्गत इन्वर्टिज तिराहा तथा झुमका तिराहा में स्थिति नन्दी तथा नटराज मूर्ति के पीछे की वॉल (फोकस वॉल) पर म्यूरल लगाने का कार्य।	82,00,000.00	1,64,000.00	15,000.00	02 माह	विशिष्ट श्रेणी	15-06-26	16-06-26
12	Selection of an Agency for facility Development operation, Maintenance and Comprehensive Management of major Dhyan Chand Sports complex and Kaylan Singh Convention Centre at Ramganga Nagar sector-8 Bareilly For 30 years	मदवार	1,50,000.00	15,000.00		विशिष्ट श्रेणी	15-06-26	16-06-26
13	ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 (12मी0 तथा 18 मी0 सर्विस रोड के मध्य पश्चिम यूटीलिटी एरिया) एवं अवशेष भाग का विकास कार्य।	10,68,74,847.00	21,37,500.00	25,000.00	12 माह	ए प्लस सिविल	15-06-26	16-06-26
14	ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-8 में आन्तरिक विकास कार्यों के अन्तर्गत सीवर लाइन, वाटर लाईन, पार्क, बाउन्ड्री वॉल, इलैक्ट्रिक ट्रेन्च एवं सड़क का निर्माण कार्य।	11,72,20,686.86	23,44,500.00	30,000.00	12 माह	ए प्लस सिविल	15-06-26	16-06-26

**नियम व शर्त:-**

- निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि को RTGS/NEFT के माध्यम से प्राधिकरण के खाता सं0-2838101007383, IFSC Code CNRB0002838 कैंरा बैंक राजेन्द्रनगर बरेली में केवल फर्म के खाते से जमा करना अनिवार्य है। जमा की गयी धनराशि से सम्बन्धित यू0टी0आर0 स्लिप की स्कैन कापी

- ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में नियत समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
2. विशिष्ट श्रेणी की निविदा हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।
  3. कार्य का विवरण, निविदा शुल्क, धरोहर राशि नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट [www.bdainfo.org](http://www.bdainfo.org) पर भी देखी जा सकती है। निविदा कैबल एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर से ही डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकेगी।
  4. निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के समस्त मानकों (S.O.P.) का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
  5. निविदा प्रपत्र एवं संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों को निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है, बिना स्वहस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
  6. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्ति की तिथि को अवकाश होता है तो उसके अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।
  7. प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों को जी0एस0टी0 नम्बर (GSTN) एवं फर्म अथवा ठेकेदार को निरस्त चैक की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  8. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
  9. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं निविदादाता किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए।
  10. निविदादाता स्वयं प्रस्तावित निर्माण स्थल देखकर ही निविदा में प्रतिभाग करें एवं निविदा में दी गयी दरें न्यूनतम तीन माह तक वैध रहेंगी।
  11. निविदा में निविदादाता अपनी पंजीकृत श्रेणी से एक श्रेणी निम्न श्रेणी में प्रतिभाग कर सकता है।
  12. ठेकेदारों को भुगतान प्राधिकरण के पास धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही किया जायेगा। यदि धन अभाव के कारण भुगतान में विलम्ब होता है तो इस सम्बन्ध में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  13. कार्य स्थल पर दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  14. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये करों, की कटौती नियमानुसार निविदादाताओं के चलित देयक से की जाएगी।
  15. समस्त कार्यों हेतु "Defect removal/liability period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम भुगतान की तिथि से दो वर्ष निर्धारित होंगे। जिसको ठीक करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
  16. बी0ओ0क्यू0 की दरों से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा पर लोक निर्माण विभाग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-692/23-07-2024, दिनांक-09 अगस्त-2024 के अनुसार अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी देनी होगी।
  17. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
  18. मिटटी के कार्य हेतु यदि रायल्टी की देयता बनती है तो उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रायल्टी से सम्बन्धित प्रपत्र बिल भुगतान से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। जिसका पोर्टल पर सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
  19. निविदादाता द्वारा निविदा के समय अपलोड किए गये प्रपत्रों को निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग में प्रस्तुत करने होंगे।
  20. पात्र ठेकेदारों को अपनी निविदा दरें बिना GST के अंकित करनी होंगी। (बी0ओ0क्यू0 की दरों में GST सम्मिलित नहीं है।) कार्य के मदों के सापेक्ष नियमानुसार GST प्राधिकरण द्वारा अलग से देय होगा। अतः नियमानुसार GST एवं लेवर सेस की कटौती कार्य के देयक से की जायेगी तथा GST का समायोजन GST भुगतान का साक्ष्य प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
  21. प्रत्येक कार्य में मद मात्राओं में कमी एवं वृद्धि सम्भावित है।
  22. NGT द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
  23. ₹0-1.00 करोड़ से अधिक के बी0ओ0क्यू0 कार्यों पर बिड कैपसिटी प्रस्तुत करनी होगी। बिड कैपसिटी के आंकलन हेतु निविदा आफर के साथ अद्यतन/प्रगतिमान कार्यों (आउट गॉइंग वर्क) की सूची अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये। जिसमें दी गयी सूचनाओं का सत्यापन प्राधिकरण अपने स्तर से करायेगा, यदि बिडर द्वारा दी गयी कोई सूचना गलत अथवा असत्य पायी जाती है, तो प्राधिकरण को निविदादाता की अर्नेस्ट मनी/जमानत राशि जब्त करने और निविदादाता फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार होगा।
  24. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
